

## CHAPTER - V

### PLACE OF SUPPLY OF GOODS OR SERVICES OR BOTH

#### Section 10 : Place of supply of goods other than supply of goods imported into, or exported from India.

- (1) The place of supply of goods, other than supply of goods imported into, or exported from India, shall be as under, –
    - (a) where the supply involves movement of goods, whether by the supplier or the recipient or by any other person, the place of supply of such goods shall be the location of the goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient;
    - (b) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of a third person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to the goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person;
    - (c) where the supply does not involve movement of goods, whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location of such goods at the time of the delivery to the recipient;
    - (d) where the goods are assembled or installed at site, the place of supply shall be the place of such installation or assembly;
    - (e) where the goods are supplied on board a conveyance, including a vessel, an aircraft, a train or a motor vehicle, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board.
  - (2) Where the place of supply of goods cannot be determined, the place of supply shall be determined in such manner as may be prescribed.
-

अध्याय 5

माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का स्थान

धारा 10 : भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान

- (1) भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान निम्नलिखित रूप में होगा :-
- (क) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतर्वलित है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा या प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो, ऐसे माल की पूर्ति का स्थान उस समय माल का अवस्थान होगा, जब माल का संचलन, प्राप्तिकर्ता को परिदान के लिए समाप्त होता है;
- (ख) जहां माल का परिदान, पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा कार्य कर रहा हो, माल के संचलन से पहले या उसके दौरान या तो माल के हक के दस्तावेज के अंतरण के रूप में या अन्यथा किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि उक्त तीसरे व्यक्ति ने माल प्राप्त किया है और ऐसे माल की पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति के कारबार का मूल स्थान होगा;
- (ग) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतर्वलित नहीं है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा हो या प्राप्तिकर्ता द्वारा, वहां पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता को परिदान के समय ऐसे माल का अवस्थान होगा;
- (घ) जहां माल का समंजन या संस्थापन किसी स्थल पर किया जाता है, वहां पूर्ति का स्थान ऐसे संस्थापन या समंजन का स्थान होगा;
- (ङ.) जहां माल की पूर्ति किसी वाहन के फलक पर की जाती है, जिसके अंतर्गत कोई जलयान, कोई वायुयान, कोई ट्रेन या कोई मोटरयान भी है, वहां पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जिस पर ऐसा माल फलक पर लिया जाता है।
- (2) जहां माल की पूर्ति के स्थान का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां पूर्ति का स्थान ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा, जो विहित की जाए।